UPHR010063902022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

(जे.ओ. कोड- यू.पी. 1889)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2679/2022

निशान्त उर्फ अप्पू रस्तोगी पुत्र विजय कुमार रस्तोगी निवासी मो० चौक कस्बा व थाना शाहाबाद जिला हरदोई।

----------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य----------विपक्षी/अभियोगी।

यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र धारा-438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदक/अभियुक्त निशान्त उर्फ अप्पू रस्तोगी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-423/2022, धारा- 452, 307, 120B भारतीय दण्ड संहिता थाना शाहाबाद जिला हरदोई के अपराध में प्रस्तुत किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त द्वारा स्वयं का शपथपत्र संलग्न किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दि० 03-09-2022 को सुबह 03.40 बजे निशान्त उर्फ अप्पू रस्तोगी, प्रभाकर, विजय मोहन एवं पवन उर्फ सन्नू ने घातक हथियारों से सुसज्जित होकर वादिनी के घर में घुसकर हमला किया और जान से मारने की कोशिश की, जिसमें वह घायल हो गयी। विपक्षीगण के साथ उसका पहले से जमीन एवं जेवरात को लेकर विवाद था। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। वादनी की चिकित्सीय जांच करायी गयी, जिसमें एक कटा हुआ घाव 1.5cm X 0.5cm एवं एक कटा हुआ घाव 1.0cm X 0.5cm सीने पर एवं एक कटा हुआ घाव 3.5cm X 1.0cm दाहिनी बांह में दर्शाया गया है और चोटें सामान्य प्रकृति की एवं ताजी पायी गयी हैं।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। वादिनी ने दि० 24-01-2020 को अपनी जमीन का बैनामा आवेदक/अभियुक्त की पत्नी के नाम आठ लाख पचास हजार रूपये में इस शर्त के साथ किया था कि वह उक्त धनराशि क्रेता को दि० 28-03-2023 तक ब्याज सहित अदा कर देगी अन्यथा जमीन क्रेता की हो जायेगी। वादिनी ने पुनः दूसरा बैनामा दि० 17-06-2021 को दो लाख नब्बे हजार रूपये में आवेदक/अभियुक्त की पत्नी को इस शर्त के साथ किया कि वह उक्त धनराशि दि० 28-02-2023 तक ब्याज सहित दे देगी अन्यथा जमीन क्रेता की हो जायेगी। इन दोनों बैनामों की शर्तों के अनुसार वादिनी ने पैसा वापस नहीं किया। पैसा मांगने पर आमादा झगड़ा-फसाद हो गयी। दबाव बनाने हेतु स्वयं चोटें कारित करके गलत तरीके से आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त एक व्यवसायी है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसके लाखों रूपये हड़पने हेतु यह फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अतः जमानत की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध किया तथा तर्क किया कि वादिनी मुकदमा को आयी चोटें गम्भीर प्रकृति की हैं। उक्त चोटों के कारण वह जिला चिकित्सालय, हरदोई में इलाज करा रही है और कई दिन भर्ती रही है। उसके शरीर पर आयी चोटें स्वयं कारित नहीं हो सकती हैं। निशांत रस्तोगी द्वारा ब्याज के ऐवज में रूपये देकर शर्ती बैनामा कराकर जमीन अपनी पत्नी के नाम करा ली। अभियुक्त जमानत में सहयोग नहीं कर रहा है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना एवं केस डायरी सहित अन्य समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि वादिनी/पीड़िता के सीने पर चाकू से कटे हुए दो घाव पाये गये हैं तथा एक कटा हुआ घाव दाहिनी बांह में पाया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी में उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन करने एवं अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, परन्तु उसके गुण दोष पर मत व्यक्त किए बिना मैं आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाता हूं।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त निशान्त उर्फ अप्पू रस्तोगी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)

दिनांकः 14–10–2022

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।